न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 60/2020 वाद
दायर दिनांक – 18/09/2020
निर्णय दिनांक – 18/02/2021

अनवान

1. जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारी लाल निवासी सिन्देसर खुर्द तह0 रेलमगरा
वादी

बनाम

1. भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद।
प्रतिवादी

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं ईन्द्राज दुरस्ती के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम सिन्देसर खुर्द पटवार क्षेत्र राजपुरा तहसील रेलमगरा में निम्नलिखित कृषि खाता सं. 329 आराजी सं. 695 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0486 हेक्टेयर व जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। राजस्व ग्राम सिन्देसर खुर्द पटवार क्षेत्र राजपुरा तहसील रेलमगरा में निम्नलिखित कृषि खाता सं. 346 आराजी सं. 1010, 1037, 522 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5666 हेक्टयर। प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। राजस्व ग्राम अरडकिया पटवार क्षेत्र ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में निम्नलिखित कृषि आराजीयात स्थित है खाता सं. 328 आराजी सं. 1018, 362, 398, 679, 693, 694, 697, 893, 978 कुल किता 9 कुल रकबा 9.7366 हेक्टयर। प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। राजस्व ग्राम सिन्देसर खुर्द पटवार क्षेत्र राजपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में निम्नलिखित कृषि आराजीयात स्थित है खाता सं. 330 आराजी सं. 1017 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0081 हेक्टयर। प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। वाद पत्र की कलम सं. 1 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में 5/216 हिस्से से दर्ज है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम सं. 2 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का 1/72वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम सं. 3 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का 1/36 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है तथा वाद पत्र की कलम सं. 4 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का 1/72 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है। उक्त वादपत्र की कलम सं. 1एक से लगायत 4चार में वर्णित आराजीयात् सहखातेदार

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

के रूप में वादी का नाम ध्रुव पुत्र हजारी के नाम से दर्ज है। जबकि वादी का नाम ध्रुव पुत्र हजारी नही होकर जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल है व वादी को ध्रुव व जितेन्द्र कुमार पालीवाल के नाम से ही जाना व माना जाता है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल अंकन होना चाहिये था लेकिन जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल की जगह ध्रुव पिता हजारी अंकन हो गया। क्योंकि श्री हजारी जी की मृत्यू पश्चात् जब नामान्तरकरण खोला गया तब सहवन से वादी का नाम जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल के बजाय ध्रुव पुत्र हजारी दर्ज हो गया था जबकि वादी को जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। जो दस्तावेज वादी के नाम का है उसमें आधारकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, विद्यालय रेकार्ड सभी में जितेन्द्र कुमार पालीवाल के नाम से ही वादी का नाम जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल अंकन है। खातेदार ध्रुव पुत्र हजारी एवं वादी एक ही व्यक्ति है। इस नाम का ओर कोई व्यक्ति गांव सिन्देसर खुर्द में नहीं है। वादी को अभी अपनी जमाबंदियो की नकलो की आवश्यकता हुई उसमें पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल की बजाय ध्रुव पिता हजारी दर्ज है जिससे वादी ने राजस्व अभिलेख में नाम सुधारने हेतु पटवारी हल्का को कहां तो वादी को मौखिक रूप से यह बताया गया कि यहां पर इस तरह से नाम नही सुधारा जा सकता है। तहसील में जाना वहां तुम्हारा नाम सुधर जायेगा। इसके बाद वादी प्रतिवादी के यहां बार बार जाता रहा तो वादी का नाम नही सुधारा गया व आज से एक माह पूर्व अन्तिम बार वादी प्रतिवादी के यहां जाकर राजस्व अभिलेख में ध्रुव पिता हजारी के बजाय जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल अपना नाम अंकन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिए वादी को घोषणा राजस्व अभिलेख में सही अंकन व ईन्द्राज दुरूस्ती का वाद सहायक कलक्टर महोदय के न्यायालय में लगाना होगा। जिससे वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपने नाम जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल को राजस्व अभिलेख में ध्रुव पिता हजारी के बजाय दर्ज कराने व राजस्व अभिलेख में ध्रुव पिता हजारी की बजाय जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल अंकन करवाने व इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत करे। जिससे इस निमित वादी का यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात के अलावा अन्य दस्तावेजो में वादी का नाम सही अंकन है जो जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल है जबकि राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल के बजाय ध्रुव पिता हजारी गलत अंकन है इस कारण वादी न तो इन भूमियों बाबत् कोई किसी प्रकार का रहन, विक्रय आदि कर सकता है न ही किसी प्रकार का ऋण ही ले सकता है। जिससे वादी के लिए उक्त वाद लाना ही आवश्यक हो गया है। वादी ने इस बाबत् प्रतिवादी को नाम सुधारने हेतु कहा व ईन्द्राज को दुरूस्त करने व राजस्व अभिलेख में सही अंकन करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया व वाद के जरिये ही नाम सुधारने को कहा व अन्तिम बार आज से एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादी को अपना सही नाम अंकन राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया। तब से अन्तिम बार वादी का वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का वाद विरूद्ध राजस्थान राज्य तहसीलदार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

महोदय के विरूद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना होता है लेकिन प्रतिवादी ने मौखिक रूप से मना कर दिया व मामला वादी को लोन लेना आवश्यक को होने से आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति बाबत् वाद पत्र के साथ प्रस्तुत कया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की घोषणा की डिकी पारित फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम सं. 01 से लगायत 04 में वर्णित कृषि में खातेदार के नाम में ध्रुव पिता हजारी नाम जो अंकित कर रखा है उसे हटाया जाकर उसकी जगह जितेन्द्र कुमार पालीवाल पिता हजारीलाल पालीवाल नाम अंकित कराया जाने की डिकी प्रदान कराई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने स्वीकारात्मक जवाब पेश किया तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्लयू 1 एवं दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी एवं वाहन चालक पास, अंकतालिका, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें वादी का नाम जितेन्द्र कुमार पालीवाल अंकित है।

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया जाकर ग्राम सिंन्देसरखुर्द के खाता संख्या 328, 329, 346, 330 में अंकित वादी का नाम ध्रुव के बजाय ध्रुव उर्फ जितेन्द्र कुमार पिता हजारीलाल के अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा